

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :- पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा सख्या
227 / 2022

रजू दिनांक
29.09.2022

अंतिम पर्चा डिक्री दिनांक
10.04.2023

// उनवान //

1 रेवती देवी पत्नि जलसिंह जाति अहीर निवासी सानोली तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:- वादीया

बनाम

- 1 अनिल पुत्र सोहनलाल जाति अहीर निवासी सानोली तह0 मुण्डावर।
- 2 अमरसिंह पुत्र फूसा जाति अहीर निवासी सानोली तह0 मुण्डावर जिला अलवर।
- 3 पारवती पत्नि सोहनलाल जाति अहीर निवासी सोनाली तह0 मुण्डावर।
- 4 भीमसिंह पुत्र फूसा जाति अहीर निवासी सानोली तह0 मुण्डावर।
- 5 रामसिंह पुत्र फूसा जाति अहीर निवासी सानोली तह0 मुण्डावर।
- 6 विनोद पुत्र सोहनलाल जाति अहीर निवासी सानोली तह0 मुण्डावर।
- 7 हुकमसिंह पुत्र मंगल जाति अहीर निवासी सानोली तह0 मुण्डावर।
- 8 होशियार पुत्र फूसा जाति अहीर निवासी सानोली तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
- 9 राजस्थान सरकार जरीये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय मुण्डावर।

:- प्रतिवादीगण

दावा- तकासमा मय हु0ई0 दवामी

:- अन्तिम पर्चा डिक्री :-

वादीया की ओर से वकील श्री हंसराज यादव की उपस्थिति में आज दिनांक 10.04.2023 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि-

" न्यायालय वादीया के वाद को उक्तानुसार पूर्व में प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट पर वकील वादीया को सुना गया। वादीया के वाद को खाता एवं लगान विभाजन बाबत अंतिम डिक्री करना न्यायोचित पाता है। भूमि आ0ख0नं0 470/0.49 है0 वाके ग्राम सानोली तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0 के बाबत के तकासमा आराजी के वाद को अंतिम निर्णित किया जाता है। कुर्रैजात प्रस्ताव प्रदर्श-अ एवं वाद शीर्षक उक्त अंतिम निर्णय एवं अंतिम पर्चा डिक्री के अभिन्न अंग रहेंगे। बैंक रहन की स्थिति में उभपक्षकारान को मिलने वाले हिस्से, रकबे, आराजी से बैंक ऋण राशि वसूलनिये रहेगी। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.04.2023 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0
10-04-2023
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर, राज0

पीठासीन अधिकारी :- पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

दावा संख्या
227 / 2022

रजू दिनांक
29.09.2022

प्रारंभिक पर्चा डिक्री दिनांक
10.01.2023

// उनवान //

1 रेवती देवी पत्नि जलसिंह जाति अहीर निवासी सानोली तह0 मुण्डावर जिला अलवर,
राज0।

:- वादीया

बनाम

- 1 अनिल पुत्र सोहनलाल जाति अहीर निवासी सानोली तह0 मुण्डावर।
- 2 अमरसिंह पुत्र फूसा जाति अहीर निवासी सानोली तह0 मुण्डावर जिला अलवर।
- 3 पारवती पत्नि सोहनलाल जाति अहीर निवासी सानोली तह0 मुण्डावर।
- 4 भीमसिंह पुत्र फूसा जाति अहीर निवासी सानोली तह0 मुण्डावर।
- 5 रामसिंह पुत्र फूसा जाति अहीर निवासी सोनाली तह0 मुण्डावर।
- 6 विनोद पुत्र सोहनलाल जाति अहीर निवासी सानोली तह0 मुण्डावर।
- 7 हुकमसिंह पुत्र मंगल जाति अहीर निवासी सानोली तह0 मुण्डावर, जिला अलवर राज0।
- 8 होशियार पुत्र फूसा जाति अहीर निवासी सानोली तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
- 9 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर,
राज0।

प्रतिवादीगण

दावा- तकासमा मय हु0ई0 दवामी

अन्तर्गत धारा- 53 व 188 राज0 काश्त0 अधि0।

:- प्रारंभिक पर्चा डिक्री :-

वादीया की ओर से श्री हंसराज यादव की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 10.01.2023 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष प्राथमिक निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि-
" न्यायालय दावा बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित हाल खसरा नं0 470/0.49 है0 का विभाजन कर लगान अलहेदा कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार मुण्डावर को आदेशित किया जाता है कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तो सम्बंधी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 को दृष्टिगत रखते हुऐ विभाजन प्रस्ताव तैयार कर आगामी तारीख पेशी 08.02.2023 से पूर्व इस न्यायालय में भिजवाये।

यह प्रारंभिक पर्चा डिक्री आज तारीख 10.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0